**(न्यायकक्ष संख्या 83)**

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन **पत्र संख्या 52703 वर्ष 2021**

संजय यादव ———— आवेदक

प्रति

राज्य उत्तर प्रदेश ———— विपक्षी

**माननीय शेखर कुमार यादव, न्यायमूर्ति**

यह दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र, आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 157 वर्ष 2019, अन्तर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना कैण्ट, जिला प्रयागराज में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्दोष हैं उसे इस प्रकरण में झूंठा फसाया गया है। यह भी तर्क रखा गया कि आवेदक के विरूद्व दो मुकदमें का अपराधिक इतिहास है जिनमें वह जमानत पर है। आवेदक का जमानत आदेश, इस जमानत आवेदन पत्र के साथ संलग्नक 2 के रूप में अनुसंलग्नक किया गया है। यह भी तर्क रखा गया कि आवेदक न किसी गिरोह का मुखिया व सदस्य है और न ही किसी अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। आवेदक का किसी गिरोह से कोई सम्बंध नहीं है एवं न ही समाज में उसका कोई भय व्याप्त है। यह भी तर्क सह–अभियुक्त सोनू कुमार भारतीया इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26–8–2019 के द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन पत्र संख्या 33481 वर्ष 2019 में जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 10–4–2019 से जेल में निरूद्व है। ऐसी दशा में आवेदक जमानत पर मुक्त किये जाने योग्य है।

इसके विपरीत विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रस्तुत मामले के गुण–दोष पर बिना कोई टिप्पणी किये मेरे विचार से आवेदक को जमानत पर छोडना उचित प्रतीत होता है।

तदनुसार आवेदक **संजय यादव** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उसे उपरोक्त अपराध में निम्न शर्तो के साथ सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध पत्र एवं उसी धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर छोड दिया जाए।

(1) आवेदक विचारण के दौरान सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(2) आवेदक गवाहान को किसी भी प्रकार से प्रभावित नही करेगा।

(3) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से कोई छेड छाड नहीं करेगा।

यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो विचारण न्यायालय को यह छूट रहेगी कि वह आवेदक की जमानत निरस्त कर सकेगा।

आज इस न्यायालय के समक्ष लगभग चार सौ मुकदमें सूची बद्व है। इसी प्रकार से नित्य मुकदमें इस न्यायालय के समक्ष सूची बद्व होते हैं जिसके कारण अधिक संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित होते हैं तथा उनके बीच किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंस नहीं होती है और वे आपस में सटकर खड़े होते हैं जब कि कोरोना की नई वैरियन्ट ओमीक्राइन के मरीज बढ़ते जा रहे है और तीसरी लहर आने की सम्भावना है। दैनिक समाचार पत्र के अनुसार 24 घण्टें में छः हजार नये मामले मिले हैं एवं 318 लोगों की मौतें हुई है और यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस भयावह महामारी को देखते हुए चीन, नीदर लैण्ड, आयर लैण्ड, जर्मनी, स्कार्ट लैण्ड जैसे देशों ने पूर्ण या आंशिक लाक डाऊन लगा दिया है। ऐसी दशा में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद से आग्रह है कि वह इस विकट स्थिति से निपटने के लिए नियम बनायें।

साथ ही दैनिक समाचार पत्र एवं दूरदर्शन में ऐसी भयावह स्थिति दिखायी जा रही है जब कि रोज नये नये कोरोना के मरीज नये वैरियन्ट के बढ़ रहे हैं और तीसरी लहर दस्तक दे रही है। अभी पिछली दूसरी लहर में हमने देखा है कि लाखों की संख्या में लोग कोरोना संक्रमित हुए है और लोगों की मृत्यु हुई है। ग्राम पंचायत के चुनाव एवं बंगाल विधानसभा के चुनाव ने लोगों को काफी संक्रमित किया जिससे लोग मौत के मुंह में गये।

आज फिर से चुनाव उत्तर प्रदेश, विधानसभा का निकट है जिसके लिए सभी पार्टियां रैली, सभायें आदि करके लाखों की भीड जुटा रहे हैं जहां पर किसी भी प्रकार से कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना सम्भव नहीं है और इसे समय रहते नहीं रोका गया तो परिणाम दूसरी लहर से कहीं अधिक भयावह होगी। ऐसी दशा में चुनाव आयुक्त से न्यायालय का अनुरोध है कि इस प्रकार की रैली, सभायें आदि जिसमें भीड एकत्रित हो उस पर तत्काल रोक लगायें और चुनावी पार्टियों को आदेशित करें कि वह अपना प्रचार व प्रसार रैली एवं सभा में भीड़ जुटाकर न करें बल्कि दूरदर्शन एवं समाचार पत्रों के माध्यम से करें और समभव हो सके तो फरवरी में होने वाले चुनाव को भी एक–दो माह के लिए टाल दें क्योंकि जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां, सभायें आगे भी होती रहेगी, और जीवन का अधिकार हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भी दिया गया है।

हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री जिन्होंने भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में कोरोना मुफ्त टीकाकरण का जो अभियान चलाया है वह प्रशंसनीय है और न्यायालय उसकी प्रशंसा करती है एवं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करती है कि इस भयावह महामारी की स्थिति को देखते हुए कड़े कदम उठाते हुए रैली, सभायें एवं होने वाले चुनाव को रोकने एवं टालने के बारे में विचार करें क्योंकि जान है तो जहान है।

इस आदेश की एक प्रति महानिबन्धक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं चुनाव आयुक्त, केन्द्र सरकार को प्रेषित की जाए।

**दि0– 23–12–2021/अ**